जागरण

# Gorakhpur News: आयुर्वेद की 22 दवाओं में मिली मिलावट, दस पाई गईं नकली, शासन ने उठाया बड़ा कदम

**जासं, गोरखपुर।** आयुर्वेद की दस दवाएं नकली मिलने और 22 दवाओं में एलोपैथिक दवाओं की मिलावट पाए जाने पर शासन ने सभी 32 दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रदेश के सभी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

इसमें कई बीमारियों में उपयोग की जाने वाली लिवर की प्रचलित दवा लिव 52 भी शामिल है। इस दवा में मंडूर भस्म व दारुहरिद्रा का मिश्रण मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। अनेक दवाओं में प्रेडनिसोलोन व बीटामेथासोन नामक स्टेरायड, दर्द निवारक आइबोप्रोफेन व डाइक्लोफिनेक, मधुमेह की दवा ग्लीम्पैराइड व यौन उत्तेजना की दवा सिलिडिनाफिल का अपमिश्रण पाया गया है।

निदेशक आयुर्वेद सेवाएं ने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि प्रदेशभर में इन दवाओं के उत्पादन, परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाई जा रही है। इन दवाओं को तत्काल जब्त कर नष्ट कराया जाए। 2022 से अब तक मिली शिकायतों के आधार पर प्रदेश के अनेक जनपदों से इन दवाओं के नमूने लिए गए थे। जांच आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला लखनऊ में कराई गई।

Source: https://www.jagran.com/uttar-pradesh/gorakhpur-city-adulteration-found-in-22-ayurvedic-medicines-ten-found-fake-23677226.html